Guest Editorial

राजीव कुमार
फाउंडर-डायरेक्टर, पारदर्शिता

सन 2000 में मेरी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई। उस समय अरविंद केजरीवाल आयकर विभाग में जॉइंट कमिश्नर हुआ करते थे और स्टडी लीव लेकर करप्शन पर स्टडी कर रहे थे। मैं उनसे मिलकर, और उनके कामों को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि मैं तुरंत ही एक वालंटियर के तौर पर उनके साथ काम करने लगा। कुछ ही महीनों के पश्चात मैंने फैसला किया कि मैं अपना बिजनेस छोड़कर फुल-टाइम उनके साथ ही काम करूंगा।

सन 2000 से लेकर 2007 तक मैंने अरविंद के साथ काम किया। इन सात सालों में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सन 2001 में सूचना का अधिकार कानून दिल्ली में लागू हुआ था। इस कानून को हमने दिल्ली सरकार के विभागों में इंप्लीमेंट करवाया। उसके पश्चात हमने बहुत सारे लोगों के अधिकारों से जुड़े हुए कामों को करवाने के लिए सूचना के अधिकार का प्रयोग किया और देखा कि किस तरह सूचना के अधिकार का प्रयोग करने के बाद उनके रुके हुये काम न केवल पूरे हुए बल्कि सरकारी विभाग और ज़िम्मेदार बन गए।

सन 2005 में केंद्र सरकार सूचना का अधिकार लाई जो कि पूरे देश में लागू हुआ और हमने कोशिश की कि यह कानून सभी लोगों तक पहुंचे, ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। इसके साथ साथ सरकार की बहुत सारी नीतियों और कानूनों में इसी कानून की मदद से सुधार करवाने में भी हम लोग सफल रहे। इस कानून पर काम करने के कारण मुझे मौका मिला कि मैं देश भर के कई विभागों के अधिकारियों को सिखाऊँ कि वे कैसे बेहतर तरीके से सूचना के अधिकार के कानून को जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं।

सन 2007 में कुछ कारणों के चलते मैं अरविंद केजरीवाल से अलग हो गया और पारदर्शिता का गठन किया। इन आठ सालों में अरविंद के साथ काम करते हुए बहुत कुछ सीखने का मौका मिला-ईमानदारी, विश्वास, लोगों के प्रति जबाब देही, ज़िम्मेदारी इत्यादि।

सन 2007 में पारदर्शिता का गठन करने के बाद मैंने दिल्ली के बवाना और सीमापुरी क्षेत्र में लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन वितरण प्रणाली इत्यादि मुद्दों पदों पर काम शुरू किया। अभी तक हमने 60,000 से ज्यादा ऐसे बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाया है जो किसी न किसी वजह से स्कूल के बाहर थे और उन्हें दाखिला नहीं मिल पा रहा था। शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो जाने के बावजूद देश की राजधानी दिल्ली में शिक्षा ना तो फ्री की गई और ना ही स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया। पारदर्शिता के प्रयासों के चलते कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए शिक्षा फ्री की गई और साथ ही स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (SMC) का गठन करने की प्रक्रिया शुरू हुई।

शिक्षा के अधिकार कानून में प्रावधान है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल मुफ्त दाखिला देंगे मगर दाखिला देना तो दूर, ऐसे बच्चों को स्कूल में घुसने भी नहीं दिया जाता था। पारदर्शिता के प्रयासों के चलते 40,000 से ज्यादा बच्चों को इस कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिला और सरकारी व्यवस्था में इंप्लीमेंटेशन के स्तर पर जो भी कमियां थी उन्हें दूर करवाकर बच्चों के दाखिला मिलने के रास्ते को सुगम बनाया गया। आज हम दिल्ली के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी बच्चों की बेहतर शिक्षा पर काम कर रहे हैं।